

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2016/वैशाख 30, 1938

No. 362]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2016/VAISAKHA 30, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 20 मई, 2016

सं. फेमा. 368/2016-आरबी

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवाँ संशोधन)
विनियमावली, 2016**

सा.का.नि. 537(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (सातवाँ संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. नया विनियम

मूल विनियमावली में, विनियम 10 के बाद निम्नलिखित अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

"10ए. किसी निवासी क्रेता और किसी अनिवासी विक्रेता अथवा उसके विपरीत शेयरों के अंतरण के मामले में संबन्धित अंतरण करार होने की तारीख से 18 महीने से अनधिक अवधि के भीतर आस्थगित आधार पर क्रेता द्वारा कुल प्रतिफल राशि के 25 प्रतिशत से अनधिक की राशि अदा की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए यदि क्रेता और विक्रेता के बीच सहमति हो तो अंतरण करार की तारीख से 18 महीने से अनधिक अवधि के लिए कुल प्रतिफल राशि के 25 प्रतिशत से

अनधिक राशि की अदायगी हेतु एस्क्रो व्यवस्था की जा सकती है अथवा यदि क्रेता द्वारा विक्रेता को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा की जाती है, तो पूर्ण प्रतिफल राशि की अदायगी की तारीख से 18 महीने से अनधिक अवधि के लिए कुल प्रतिफल राशि के 25 प्रतिशत से अनधिक राशि हेतु विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति बॉन्ड प्रस्तुत किया जाएगा :

वर्तते शेषों के लिए अंततः कुल प्रतिफल राशि की अदायगी, कीमत निर्धारण संबंधी लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन में अवश्य होनी चाहिए।”

[फा. सं. 1/7/2016-ईएम]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. सं. 406(अ), भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003	सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004	सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004	सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012
सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004	सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013
सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004	सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013
सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013
सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013
सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013
सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005	सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013
सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005	सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013
सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005	सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013
सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006	सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006	सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013
सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013

सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013	जी.एस.आर. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013	जी.एस.आर. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013	जी.एस.आर. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013	जी.एस.आर. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014	जी.एस.आर. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि. सं. 190(ई) दिनांक 19.03.2014	जी.एस.आर. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014	जी.एस.आर. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014	जी.एस.आर. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014	जी.एस.आर. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014	जी.एस.आर. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014	जी.एस.आर. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014	जी.एस.आर. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014	जी.एस.आर. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014	जी.एस.आर. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014	जी.एस.आर. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014	जी.एस.आर. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016

RESERVE BANK OF INDIA
(Foreign Exchange Department)
(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th May, 2016

No. FEMA. 368/2016-RB

**Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)
(Seventh Amendment) Regulations, 2016**

G.S.R. 537(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB, dated 3rd May, 2000) namely:-

1. Short Title and Commencement

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Seventh Amendment) Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. New Regulation

In the Principal Regulations, after Regulation 10, the following shall be inserted, namely:-

“10A. In case of transfer of shares between a resident buyer and a non-resident seller or vice-versa, not more than twenty five per cent of the total consideration can be paid by the buyer on a deferred basis within a

period not exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement. For this purpose, if so agreed between the buyer and the seller, an escrow arrangement may be made between the buyer and the seller for an amount not more than twenty five per cent of the total consideration for a period not exceeding eighteen months from the date of the transfer agreement or if the total consideration is paid by the buyer to the seller, the seller may furnish an indemnity for an amount not more than twenty five per cent of the total consideration for a period not exceeding eighteen months from the date of the payment of the full consideration:

Provided the total consideration finally paid for the shares must be compliant with the applicable pricing guidelines.”

[F. No. 1/7/2016-EM]

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013
G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013
G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013
G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008	

G.S.R.No. 190(E) dated 19.03.2014
G.S.R.No. 270(E) dated 07.04.2014
G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R.No. 370(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 371(E) dated 30.05.2014
G.S.R.No. 435(E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 400(E) dated 12.06.2014
G.S.R.No. 436(E) dated 08.07.2014
G.S.R.No. 487(E) dated 11.07.2014
G.S.R.No. 632(E) dated 02.09.2014
G.S.R.No. 798(E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 799(E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 800(E) dated 13.11.2014
G.S.R.No. 829(E) dated 21.11.2014

G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R.No. 914(E) dated 24.12.2014
G.S.R.No. 30(E) dated 14.01.2015
G.S.R.No. 183(E) dated 12.03.2015
G.S.R.No. 284(E) dated 13.04.2015
G.S.R.No. 484(E) dated 11.06.2015
G.S.R.No. 745(E) dated 30.09.2015
G.S.R.No. 759(E) dated 06.10.2015
G.S.R.No. 823(E) dated 30.10.2015
G.S.R.No. 858(E) dated 16.11.2015
G.S.R.No. 165(E) dated 15.02.2016
G.S.R.No. 166(E) dated 15.02.2016
G.S.R.No. 369(E) dated 30.03.2016